न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—285/2012/223 (2012/00285)

1. काना पुत्र सूरजकरण, जाति जाट, निवासी दूदू, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

ठा0 रघुनाथ जी जरिये पुजारीः—

1. हरिप्रसाद पुत्र रामदास, जाति पारीक (फौत) जरिये वारिसानः—
   1/1— रामगोपाल पुत्र हरिप्रसाद,
   1/2— दिनेश कुमार पुत्र हरिप्रसाद,
   1/3— महेश पुत्र हरिप्रसाद,
   समस्त जाति पारीक, निवासी दूदू, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 13.9.2011 अंतर्गत वाद संख्या 91/2000 .

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/3 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 30.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/रेस्पो0 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी बाबत् घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नंबर 1288 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 1290 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1292 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0 चाह वाके ग्राम दूदू तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है । विवादित भूमि ठा0 रघुनाथ जी जो नाबालिग है, उनके कब्जे की भूमि है जिससे होने वाली उपज राजभोग के काम में आती है तथा मंदिर के रख—रखाव की भूमि है । प्रतिवादी का उक्त आराजियात से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । वाद में ठाकुर रघुनाथजी के पुजारियों की वंशावली अंकित करते हुए कथन किया कि उक्त मंदिर पुजारियों को ठिकाने से प्राप्त हुआ था । उक्त आराजियात को माफी मंदिर की ठिकाने से प्राप्त हुई थी । उक्त मंदिर की राजभोग की व्यवस्था वादी द्वारा की जाती है । उक्त विवादित जमीन जो कि नरायना रोड़ पर स्थित है जिस पर मंदिर के रख—रखाव हेतु एवं राजभोग के लिए वादी ने कुछ दुकानों का निर्माण किया था, लेकिन उसके पास प्रतिवादी ने कुछ छड़िया डालकर कब्जा करने की

कुचेष्टा की है तथा प्रतिवादी का विवादग्रस्त भूमियों से कोई संबंध व सरोकार नहीं है । वादी जो कि मंदिर की देखरेख करता है काफी बुजुर्ग है तथा लकवे से पीड़ित है । वादी ने प्रतिवादी को छड़िया हटाने को कहा तो वादी ने धमकी दी की वे यहां पर कब्जा करके रहेगें । इसलिये वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः वाद स्वीकार किया जाकर संलग्न नक्शे में दर्शित छड़िया हटवायी जावे तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अधी0न्याया0 ने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2011 द्वारा वादी/रेस्पो0 का वाद डिक्री किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत तथा रेस्पो0 के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । वादीगण/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद मिस कंसीव्ड वाद है । ऐसा वाद डिक्री नही किया जा सकता था । वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का था लेकिन प्लीडिंग में स्थायी निषेधाज्ञा चाही तथा दादरसी में बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी इसके बावजूद ऐसे मिस कंसीव्ड वाद को डिक्री करने मे अधी0न्याया0 ने त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में अंकित प्रोसिडिंग एवं पत्रावली में अपनायी गई प्रकिया का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि किस प्रकार विधिक प्रक्रिया को अपनाया गया है, पूर्व में कई आदेश पारित हो गये जिन्हें निरस्त कर पुनः उस प्रक्रिया में नियत यिका गया फिर उसे पूर्व में निर्णित होना मानकर कार्यवाही समाप्त कर दी । अधी0न्याया0 द्वारा दावा एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में दो बार तनकियात कायम की गई है इसके बावजूद अधी0 न्याया0 ने किसी भी तनकी पर निर्णय पारित नहीं किया है इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर पत्रावली बहस हेतु दिनांक 15.9.2005 को नियत की तथा उक्त कार्यवाही हेतु पत्रावली लगभग 29–30 पेशियों तक नियत रही लेकिन पुनः उक्त प्रार्थना पत्र को पूर्व में निर्णित होना मानकर बिना सुनवाई उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही समाप्त करने भूल की है । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी/अपीलंट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना साक्ष्य बंद कर भूल की है । पत्रावली दिनांक 6.9.2011 को वास्ते वादी साक्ष्य नियत थी अगर प्रतिवादी या उसके अभिभाषक उपस्थित नही थे तो वादी की साक्ष्य ली जा सकती थी लेकिन उसी दिन प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाकर वादी की साक्ष्य लेकर पत्रावली में बहस सुनकर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित कर प्रतिवादी/अपीलांट को न्याय से वंचित किया है । अधी0न्याया0 ने स्वंय में अन्तर्निहित शक्तियों का दुरूपयोग करते हुए अतिक्रमी के विरूद्ध धारा 183 राज0काश्त0अधि0 के तहत वाद प्रस्तुत कर कार्यवाही करने हेतु निर्देश प्रदान किये जो नहीं किये जा सकते थे । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र धारा 5 पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2011 की जानकारी अपीलांट को नहीं थी । तहसीलदार ने जब प्रार्थी को धारा 183 के तहत बेदखली का नोटिस दिनांक 12.4.2012 की पेशी के लिए जारी किये तब उसने उपस्थित होकर अपना प्रकरण पेंडिग होने बाबत् बताया तो उन्होंने नकल पेश करने का कहा । प्रार्थी ने अपने अधिवक्ता

से दिनांक 25.4.2012 को संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि वाद निर्णित हो चुका है तब प्रार्थी ने दिनांक 1.5.2012 को न्यायालय से जानकारी कर उसी दिन नकल लेने हेतु आवेदन पत्र पेश किया तथा नकल प्राप्त की । तत्पश्चात् प्रार्थी ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. हमनें विद्वान वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को प्रकरण के गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वादी/रेस्पो0 ने ठाकुर रघुनाथ जी जरिये पुजारी की हैसियत से विवादित आराजियात बाबत् पेश कर कथन किया कि विवादित आराजियात ठाकुर रघुनाथ जी की भूमि है जो उक्त मंदिर को ठिकाने से प्राप्त हुई थी । विवादित आराजियात से मंदिर के रख–रखाव तथा राजभोग की व्यवस्था वादी द्वारा की जाती है । विवादित आराजियात पर वादी ने मंदिर के रख रखाव व राजभोग के लिए कुछ दुकानों का निर्माण किया था लेकिन उसके पास प्रतिवादी ने कुछ छड़िया डालकर कब्जा कर लिया है । अतः वाद स्वीकार कर प्रतिवादी की छड़िया हटवाई जावे तथा प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया जिसमें कथन किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1290 व 1292 को छोड़कर खसरा नंबर 1288 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा को वादी, स्व0 रामकिशोर, शंकरलाल, परशुराम व नाथू ने अपने हिस्से के अनुसार सन् 1970 से 2001 तक भिन्न–भिन्न समय पर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों को मौखिक व जरिये इकरारनामा विक्रय कर दी जिसमें संपूर्ण भूमि पर पुख्ता आवासीय मकान, दुकाने, टेलीफोन टॉवर, ट्रोमा अस्पताल, बाड़े बने हुए है। प्रतिवादी को स्व0 रामकिशोर ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी खसरा नंबर 1288 में से सन् 1975 में 1100/–रू0 में मौखिक विक्रय कर विक्रय की राशि प्राप्त कर कब्जा प्रतिवादी को संभला दिया था तब से लेकर आज तक बाड़ा बनाकर अपने मवेशी बांधकर, घासफूंस, खाद डालकर चारों और कांटों की बाड़ लगाकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है । विवादित बाड़े से वादी का किसी प्रकार का संबंध व सरोकार नहीं है ।

8. अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 के कॉलम संख्या 4 के अनुसार विवादित आराजियात खसरा नंबर 1288 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 1290 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1292 रकबा 1 बिस्वा भूमि मंदिर श्री रघुनाथ जी विराजमान देह पुजारी नाथू पुत्र गोविन्द नारायण हिस्सा 1/4, हरिप्रसाद पुत्र रामदास हिस्सा 1/2 रामकिशोर, शंकरलाल परसूराम पि0 श्यामसुन्दर हिस्सा 1/4 जाति ब्राह्मण सा0देह का अंकन है । इसी जमाबंदी में लाल स्याही से नोट अंकित है जिसके अनुसार विवादित आराजियात आदेश राजस्व/ग्रुप/(6)/विभाग–2 (4)राज/14/90/37 जयपुर दिनांक 13.12.1991 की अनुपालना में माफी मंदिर के नाम दर्ज की गई है । उक्त नोट से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वर्तमान में माफी मंदिर के नाम दर्ज है । माफी मंदिर शाश्वत नाबालिग है जिसकी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । अपीलांट

ने विवादित भूमि खसरा नंबर 1288 में विवादित बाड़ा क्रय करने का कथन कर कब्जा होने का कथन किया है जबकि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में माफी मंदिर के नाम दर्ज होने से अपीलांट को विवादित आराजियात में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा उसका कब्जा केवल मात्र अतिक्रमी की हैसियत से है तथा मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होने से मंदिर मूर्ति की सम्पति का सरंक्षक कानूनन रूप से न केवल तहसीलदार है वरन् न्यायालय का भी यह दायित्व है कि मंदिर मूर्ति की सम्पतियों की सुरक्षा का ध्यान रखे । अधी0न्याया0 द्वारा मंदिर मूर्ति की भूमियों की सुरक्षा हेतु आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपी अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.9.2011 यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर